भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **2970**

दिनांक 11 जुलाई , 2019 / 20 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

भुवनेश्वर से अंतर्राष्ट्रीय विमान प्रचालन

2970. श्री सप्तगिरी उलाका:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भुवनेश्वर से दुबई, सिंगापुर और अन्य देशों तक सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सेवा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीप के लिए पुनः विमान-संचालन प्रारंभ करने पर विचार करेगी जो पहले कोलकाता-भुवनेश्वर- पोर्ट ब्लेयर वायु मार्ग से संचालित हो रहा था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): महोदय, किसी भी गंतव्य के लिए प्रचालन आरंभ करना मार्गों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और एयरलाइनों के पास ससाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। भारतीय वाहक भारत में भुवनेश्वर सहित किसी भी स्थान से बाहरी देशों के गण्तव्यों के लिए, संबंधित द्विपक्षीय करारों अंतर्गत, प्रचालन आरंभ करने के लिए स्वतंत्र हैं। भुवनेश्वर को सार्क देशों (अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर) और आसियान देशों के लिए उपलब्ध 18 पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है जहां से/के लिए भारत के नामित वाहकों के साथ-साथ सार्क देशों के नामित वाहक और विदेशी वाहक असीमित प्रचालन आरंभ कर सकते हैं।

(ग): सरकार एयरलाइनों को किसी विशिष्ट मार्गों पर प्रचालन करने/उड़ानें बहाल करने की अनुमति प्रदान नहीं करती। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम का निरसन होने से, भारतीय घरेलू विमानन को अविनियमित किया जा चुका है। एयरलाइनें किसी भी विमान श्रेणी के साथ क्षमता शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छानुसार सेवा और प्रचालन के लिए बाजारों और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बेहतर हवाई परिवहन सेवाएं हासिल करने के लिए सरकार ने मार्ग संवितरण दिशानिर्देश जारी किए हैं। तथापि, यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं मुहैया कराना एयरलाइनों पर निर्भर करता है। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

*****